कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः– 4241

दिनांकः– 17/04/23

ई–निविदा सूचना

U. B. No...DLB2324SLOB01965...

नगर निगम जोधपुर दक्षिण में नगर निगम के कार्यो हेतु जीप, कार, इनोवा कार, 24 सीटर बस संविदा पर दो वर्षो के लिए उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु अनुभवी, योग्य एवं प्रतिष्ठित वाहन स्वामियों/ट्रेवल एजेन्सियों/प्रतिष्ठित फर्मो से ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तें www.eproc.rajasthan.gov.in, www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांकः– 4242 to 4252
दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

1 निजी सहायक, महापौर महोदया, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
2 अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
3 उपायुक्त (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
4 लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
5 अधिशाषी अभियंता (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
6 बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
7 प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs , www.sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
8 राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हा एवं एक क्षैत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
9 सहायक अभियंता (यांत्रिक) गैरेज शाखा दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
10 नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
11 गार्ड फाईल, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

कमांकः– 4241

दिनांकः– 17/04/23

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से निविदा शर्तो के अनुसार अनुभवी, योग्य एवं प्रतिष्ठित वाहन स्वामियों/ट्रेवल एजेन्सियों/ प्रतिष्ठित फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से निम्न कार्य हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक व समय	18/04/2023	04.00 Am
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	18/04/2023	04.30 Am
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	08/05/2023	03.00 Am
निविदा शुल्क/धरोहर राशि/ बिड सिक्युरिटी घोषणा पत्र/ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क के डी.डी/बैंकर्स चैक की मूल प्रति गैरेज शाखा नगर निगम कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	08/05/2023	03.30 Am
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	08/05/2023	04.00 Am

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	ई–प्रकिया शुल्क (रूपये में)	कार्य की अवधि
1	**नगर निगम के कार्यो हेतु जीप, कार, इनोवा, 24 सीटर बस संविदा पर दो वर्षो के लिए उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु निविदा।**	**435.00 लाख**	**8,70,000/–**	**5000/–**	**2000/–**	**दो वर्ष**

निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार है :–

1. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करानी होगी।
2. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि निविदाएं नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदा खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।

3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि/नियमानुसार बिड सिक्युरिटी घोषणा पत्र एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी/बैंकर चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय गैरेज शाखा में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	5000/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
2.	धरोहर राशि	8,70,000	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
3.	ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	2000/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

4. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना, सेवानिवृति के पश्चात 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों मे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति, निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः–   दिनांकः–

कार्य का नाम :– नगर निगम के कार्यों हेतु जीप, कार, इनोवा, 24 सीटर बस संविदा पर दो वर्षो के लिए उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु निविदा।

1. **निविदा कार्यः–**

1. नगर निगम जोधपुर दक्षिण में नगर निगम के कार्यों हेतु वाहन जीप, कार, 24 सीटर बस उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु अनुभवी, योग्य एवं प्रतिष्ठित वाहन स्वामियों/ट्रेवल एजेन्सियों/प्रतिष्ठित फर्मों से ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. संवेदक को इस कार्य हेतु मांग अनुसार संख्या में जीप, कार (ए. सी.), इनोवा कार (ए. सी.) एवं 24 सीटर बस (ए. सी.) मय चालक, संचालन एवं रखरखाव एवं POL सहित दो वर्ष के लिए उपलब्ध करवाने होगें।

2. **निविदा प्रस्तुत करना :–**
   1 निविदा द्वि–स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें प्रथम तकनिकी बिड होगी जिसमें तकनिकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित तकनिकी मापदण्डों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी जिसमें उपरोक्त कार्य करने हेतू कार्य की दर ऑनलाईन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।
   2. पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :–

"आयुक्त"
नगर निगम जोधपुर दक्षिण
संवेदक का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाई पता, फैक्स, ई–मेल, फोन नम्बर अंकित करें):–

....

....

3 **संवेदक की पात्रता एवं तकनिकी निविदा के साथ में निविदादाता द्वारा निम्न दस्तावेज अपलोड किये जावेंगे :–**

3.1 निविदा शुल्क, धरोहर राशि/बिड सेक्युरिटी घोषणा पत्र एवं ई–टेण्डरिग प्रकिया शुल्क हेतु डी. डी/बैंकर चैक की स्केन प्रति।
3.2 निविदादाता/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय (GSTIN) में पंजीयन होना आवश्यक है। PAN Card एवं GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।
3.3 फर्म का गत 3 वर्षो में औसत टर्न ओवर 100.00 लाख रूपये वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये। टर्न ओवर के प्रमाण स्वरुप सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र या गत तीन वर्षो की सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बेलेन्स सीट की स्केन प्रति।

3.4 संवेदक/फर्म के स्वयं के नाम कम से कम 3 जीप, 5 कार, 2 इनोवा का पंजिकृत स्वामित्व तथा आवश्यकता होने पर मांग अनुसार अन्य सभी वाहन को उपलब्ध करवाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। संवेदक/फर्म के स्वयं के नाम पंजीकृत वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व फिटनेश प्रमाण पत्र की स्केन प्रति तकनिकी निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले सभी वाहन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक तक 6 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। किराये पर लिये जाने वाले सभी वाहन टैक्सी के रूप में पंजीकृत होने चाहिये।

3.5 फर्म को पिछले 5 वर्षो में से किन्ही दो वर्षो में न्यूनतम रूपये 100.00 लाख की राशि तक कार/जीप उपलब्ध करवाने के कार्य का किसी राजकीय विभाग/स्वायतशासी संस्था/नगर निगम आदि में अनुभव होना चाहिये। इसके साक्ष्य स्वरूप सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता या इसके ऊपर के रैंक के अधिकारी के द्वारा जारी किया होना आवश्यक है। इसके अभाव में प्रस्तुत तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.6 किसी भी तरह का Joint Venture या फर्म के एक से अधिक पार्टनर होने पर अनुबंध एवं निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर करने के लिये दी गई पॉवर ऑफ एटार्नी जमा करवाना होगा तथा

(क) संवेदकों एवं फर्मो/व्यक्तियों के पंजिकृत अनुबन्ध की सत्यापित फोटो प्रति प्रस्तुत करेगा। पंजीकरण निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक से पूर्व का होना चाहिये।

(ख) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकार पत्र, सभी पार्टनरस् का हस्ताक्षर किया हुआ, प्रस्तुत करेगा।

(ग) जोईन्ट वेन्चर के रुप में प्रत्येक पार्टनर संविदा कार्य को करने के लिए संयुक्त रुप से उत्तरदायी होंगे तथा प्रत्येक पार्टनर व्यक्तिगत रुप से भी कार्य के लिए विधिक रुप से उत्तरदायी होगें।

(घ) सफल संवेदक होने की स्थिति में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने व अन्य कार्य करने के लिए अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ड) जोईन्ट वेन्चर के अनुबन्ध में मुख्य व्यक्तियों की जिम्मेदारियो, संसाधनों एवं कार्य के लिये वितीय स्थिति की पूर्ण जानकारी अंकित की जानी चाहिए।

3.7 निविदादाता फर्म/संवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय/अर्द्वसरकारी कार्यालय/नगर निगम से ब्लैकलिस्ट नही होना चाहिये तथा फर्म/संवेदक का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कार्यरत नहीं होना चाहिये। ब्लैक लिस्ट नहीं होने एवं कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कार्यरत नहीं होने से सम्बंधित शपथ पत्र रूपये 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जो कि निविदा खोलने के समय से पूर्व नगर निगम जोधपुर कार्यालय गैरेज कक्ष में प्रस्तुत करना होगा तथा इसकी स्केन प्रति तकनीकी निविदा के साथ ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।

3.8 वाहन स्वामी को रूपये 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर स्वयं का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.9 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की स्केन प्रति।

3.10 संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'अ' में अंडरटेकिंग की स्केन प्रति।

3.11 निविदादाता के द्वारा RTPP Act के सेक्सन 7 & 11 में घोषणा पत्र की स्केन प्रति।

नोट :- उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 11 तक निर्धारित तकनिकी मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज 'ई' निविदा में तकनिकी बिड के साथ अपलोड करने होंगे। अपलोड किये गये दस्तावेजों के सम्बन्ध में निविदा समिति निविदादाता से स्पस्टीकरण मांगने हेतु स्वतंत्र है। निविदादाता द्वारा स्पस्टीकरण दी गई समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा दाता को तकनिकी बिड के मुल्यांकन में अयोग्य घोषित करते हुए उनकी वितिय बिड नहीं खोली जायेगी।

4. **वाहन व वाहन चालकों के सम्बंध में निविदादाता को निर्देश**

1. **उपरोक्त कार्य पूर्ण रूप से कान्ट्रेक्ट बेसिस पर होगा। फर्म द्वारा वाहनों के संचालन के लिये लगाये चालकों का समस्त उत्तरदायित्व फर्म स्वयं का होगा। किसी भी स्थिति में इन वाहन चालकों की सेवा व कार्य सम्बन्धी मामले में विवाद पर नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का क्लेम देय होगा। निविदादाता/वाहन चालक नगर निगम में नियमित रोजगार के लिये क्लेम नही कर सकेंगें।**
2. वाहन चालक अनुभवी/प्रशिक्षित एवं सम्बन्धित श्रेणी का वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेंसधारी होना चाहिये। सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन, इन्शोरेन्स, फिटनेश, पी.यू.सी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लाइसेन्स आदि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा। निविदादाता को चालक का उपयुक्त बीमा/इन्श्योरेन्स कराना होगा तथा श्रम नियमों एवं भविष्य निधि नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी। इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की शासकीय/विधिक उतरदायित्व या आर्थिक हानि के लिये निविदादाता/वाहन चालक जिम्मेदार होगा।

   सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मशीन/वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, वाहन चालक का लाइसेन्स व वाहन से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों की प्रतियॉ गैरेज प्रभारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
3. वाहन चालक को किसी भी प्रकार का टी.ए. या डी.ए. नगर निगम की ओर से देय नहीं होगा।
4. उपलब्ध कराये जाने वाले मशीन अच्छी कन्डीशन एवं मजबूत होना अनिवार्य है। कार्यरत वाहन/मशीनों का माईलोमीटर/HOUR मीटर नियमित रूप से सही रखा जाना आवश्यक है जिसका गैराज अभियन्ताओं या अन्य ऑथोरिटीज द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। सही नहीं पाये जाने पर 1000 रू की शास्ती प्रति घटना लगायी जावेगी।
5. प्रत्येक वाहन पर " नगर निगम जोधपुर दक्षिण से अनुबंधित" लिखा होना चाहिए। वाहन को गैराज अधिकारी के निर्देशानुसार युजर अधिकारी या उसके द्वारा निर्देशित स्थान पर समय पर रिपोर्ट करना होगा। " नगर निगम जोधपुर दक्षिण से अनुबंधित" प्लेट का दुरूपयोग होने पर 5000 रूपये प्रति घटना शास्ती लगाई जायेगी।
6. आवश्यक होने पर अवकाश के दिन भी वाहन को कार्य हेतु बुलाया जायेगा जिसके लिए संवेदक मना नहीं कर सकेगा। त्यौहार/उत्सव, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर एवं विशेष परिस्थितियों में कभी भी वाहन को कार्य पर बुलाया जा सकेगा।
7. प्रत्येक वाहन चालक वर्दी धारण करेगा। इसकी जिम्मेदारी संवेदक की होगी। कार्य के दौरान वर्दी पहनी हुई नहीं होने पर रूपये 100/– प्रति कर्मचारी प्रतिदिन पेनल्टी लगाई जायेगी।
8. वाहनों को संचालित करने हेतु निर्धारित स्थल/पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी। वाहनों का संचालन गैरेज/निगम द्वारा निर्देशित स्थल से किया जायेगा। वाहन की दैनिक लोगबुक वाहन के साथ रखी जायेगी जिसमें वाहन को उपयोग में लेने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य का प्रमाणिकरण किया जायेगा।

वाहन और वाहन चालकों का विवरणः–

(अ) निम्न प्रपत्र में सूचना कार्यादेश जारी होने के बाद लेकिन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व गैरेज शाखा में गैरेज प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी।

क्र.स.	वाहन चालक का नाम व पता	वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेन्स नम्बर	लाइसेन्स की वैद्यता दिनांक
1			
2			
3			

वाहनों की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण निम्न प्रारूप में देना होगा।

(ब) उपलब्ध वाहनों का विवरणः–

क्र.स.	वाहन मेक	पंजीकृत वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन मॉडल वर्ष	वाहन मालिक का नाम

9. सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नगर निगम अधिकारियों को सभी वाहनों का भौतिक सत्यापन करवाना होगा। भौतिक सत्यापन कराये बगैर एवं बिना निरीक्षण वाहन कार्य पर लगाने पर किराया देय नहीं होगा।
10. वाहन की दैनिक लोगबुक वाहन के साथ रखी जायेगी। लॉगबुक का संधारण वाहन चालक को करना होगा जिसमें वाहन को उपयोग में लेने वाले अधिकारी (नाम, पद नाम, मोहर सहित) द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य का प्रमाणीकरण किया जायेगा। प्रत्येक माह का बिल यूजर अधिकारी द्वारा लोग बुक में हस्ताक्षरमय सील प्रमाणीकरण उपरान्त गैराज प्रभारी को आगामी 20 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।
11. नियमित रूप से अधिकारी के पास लगाये गये वाहनों का कार्य क्षेत्र नगर निगम जोधपुर होगा। आयुक्त/गैरेज प्रभारी के निर्देशानुसार नगर निगम जोधपुर सीमा क्षेत्र से बाहर भी वाहनों को भेजा जा सकता है जिसके लिए संवेदक मना नहीं कर सकेंगें। निर्देशों की पालना नहीं होने पर रू 2000/– प्रति वाहन प्रति घटना की दण्ड (शास्ती) राशि कटौती की जायेगी।
12 वाहनों के लिए ईधन (डिजल/ऑयल) एवं रिपेयर/मरम्मत के कार्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
13. संवेदक द्वारा उपलब्ध वाहन चालक से दुर्घटना घटित होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर किसी भी तरह के चालान के लिये संवेदक/वाहन चालक जिम्मेदार होगा।

5 महत्वपूर्ण बिन्दू

1. **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार वाहन चालकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा। प्रत्येक माह के बिलों के साथ इय आशय का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा कि उनके द्वारा वाहन चालकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार भुगतान किया गया है।**
2. **लागू होने पर संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त वाहन चालकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा जिसमें नियोजित श्रमिको की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।**
3. **श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उतरदायी होगा।**
4. **यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण**

कर लिये जाने पर औधोगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उतरदायित्व संवेदक का होगा।

5. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

6. सामान्य शर्ते :–

1. **निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय गैरेज शाखा में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि/बिड सेक्युरिटी घोषणा पत्र एवं प्रकिया शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।**
2. निविदा शुल्क व ई–प्रकिया शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी।
3. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम उत्तरदायी नही है।
4. निविदा दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व निविदादाता को कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल इत्यादि का निरीक्षण/जानकारी कर लेने की सलाह दी जाती है। इससे सबंधित समस्त व्यय निविदादाता को ही वहन करने होगें।
5. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम–शर्तो/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वितीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। निविदादाता द्वारा वितीय बिड में प्रस्तुत दरें निविदा की सम्पूर्ण समयावधि के लिए स्थिर (फिक्स) रहेगी जो कि किसी भी स्थिति में परिवर्तनीय नही होगी।
6. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।
7. निविदा एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तों, विवरण पर जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
8. वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दरों मे जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अतिरिक्त सभी टैक्स सम्मिलित होगें। जीएसटी लागू होने पर पृथक से देय होगा। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
9. संविदा की अवधि दो वर्षो की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर संवेदक की सहमति से अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य अवधि बढाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य परिस्थितियॉ होने पर किसी भी समय निगम निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नहीं होगा तथा न ही संवेदक को संविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
10. नियमित रूप से कार्य की समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता/संवेदक को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तो का उल्लघंन माना जावेगा। निविदादाता/संवेदक को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता प्रस्तुत करना होगा।
11. नगर निगम एवं निविदादाता के मध्य निविदा एवं निविदा से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होगें। हिन्दी/अंग्रेजी के अतिरिक्त निविदा में सहायक दस्तावेज अन्य भाषा

में होने पर इन दस्तावेजों का पूर्ण शुद्ध रूपान्तरण हिन्दी/अग्रेजी भाषा में करके अपलोड करने होंगें।

12. नगर निगम के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएँ 15 दिवस में पूर्ण करनी होगी :–

(क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना।

(ख) निविदा की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर राशि रूपये 2,175,000/– प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेड्यूल बैक की बैक गारण्टी/शेड्यूल बैक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South" के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।

(ग) नगर निगम बैक गारंटी जारी करने वाले बैंक से बैक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।

(घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. भी उक्त एफ.डी.आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी।

(ड) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 90 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।

13. यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है तो नगर निगम जोधपुर दक्षिण इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L_2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।

14. कार्यादेश के 15 दिवस में निविदा शर्तो की पालना करते हुए मांग अनुसार नगर निगम के कार्य हेतु निविदा में अकिंत वाहन उपलब्ध करवाने होगें। वाहन निविदा शर्तो अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

15. धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदत नही किया जायेगा।

16. केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपकम प्रतिभूति की राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगें।

17. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture)**:– प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा–

(क) जब संविदा के किसी निबन्धन और शर्तों को भंग किया जाता है।

(ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रुप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।

(ग) जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।

(घ) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस सबंध में कय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

18. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि–

(1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नही रखता हो।

(2) निविदा के साथ धरोहर राशि/बिड सेक्युरिटी घोषणा पत्र जमा नहीं किया गया हो।

(3) जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।

19 समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम जोधपुर दक्षिण उतरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज/शुद्विपत्र/ संशोधन ई– प्रोक्योरमेंट/SPPP पॉर्टल से डाउनलोड नही होने पर नगर निगम उतरदायी नहीं है।

20. माँगें जाने पर तकनिकी बिड दस्तावेजो की मूल प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी।

21. नगर निगम निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। कार्य आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है।

22. निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

23. सफल निविदादाता द्वारा दो वर्षों की कार्य अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का

नगर निगम में बकाया नहीं होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।

24 आवश्यकता होने पर वाहनों की संख्या बढाई जा सकती है तथा बिना कारण बताये वाहनों की संख्या में कमी करने का अधिकार नगर निगम जोधपुर दक्षिण को रहेगा।

7 निगम शक्तियॉं एवं शास्तियॉं :-

1. मांग अनुसार संख्या में वाहन उपलब्ध नहीं करवाने या आदेशित संख्या से कम संख्या में वाहन उपलब्ध करवाने पर प्रतिदिन प्रतिवाहन 2000 रूपये शास्ती के रूप में काटे जायेगें। कम संख्या में वाहन उपलब्ध करवाने पर संवेदक की रिस्क व कोस्ट पर नगर निगम बाजार से वाहन लेने हेतु स्वतंत्र है। इस स्थिति में अन्तर राशि संवेदक से वसूल की जायेगी।
2. वाहन का उपयोग नगर निगम से संबधित कार्यो, आपदा प्रबन्धन एवं अन्य कार्यो के लिए दिन एवं रात में एवं वर्ष के किसी भी दिन अथवा कभी भी आवश्कतानुसार लिया जायेगा जिसकी उपलब्धता निविदादाता सुनिश्चित करेंगे। लिखित अथवा दूरभाष पर प्रेषित मौखिक मांग के अनुसार आपूर्ति में निविदादाता के विफल रहने पर नगर निगम द्वारा फर्म के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
3. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के वांछित आउटपुट नहीं देने की स्थिति में शास्ती काटकर रिस्ट एण्ड कोस्ट पर अन्यत्र से भी वाहन की आपूर्ति ले सकते है। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी।
4. ड्युटी पर तैनात कोई भी वाहन चालक किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ नहीं होना चाहिये तथा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नही करेगा। शारीरिक रूप से असक्षम एवं बाल श्रमिक कार्य पर नही लिया जावेगा। संवेदक द्वारा लगाये गये सभी वाहन चालक अनुशासित, समय पाबन्द, मृदुभाषी होगें। उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण करने पर रू 1000/– प्रति वाहन चालक प्रति घटना की दण्ड (शास्ती) राशि काटी जायेगी। गैरेज प्रभारी के निर्देश पर उपर्युक्त चालक को बदलना होगा। वाहन चालक के विरूद्व मोटर वाहन अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा लम्बित नहीं होना चाहिए एवं आमजन व निगम कर्मचारियों के साथ शालीनता से व्यवहार करें। संवेदक द्वारा उपलब्ध वाहन चालक का कार्य कुशल न होने पर निगम के निर्देशानुसार वाहन चालक को बदलना होगा।
5. यदि किसी दिन उपयोगकर्ता अधिकारी चालक के खराब ड्राईविग/आदेशों की अवहेलना/जानबूझकर वाहन के लेट रिपोर्ट करने/निर्देशों के बाद भी गन्तव्य पर इन्तजार नहीं करने/लेट रिपोर्ट करने/यूजर अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय से पूर्व चले जाने इत्यादि की रिपोर्ट करते है तो 1000 रूपये की शास्ति प्रति घटना वसूल की जायेगी।
6. वाहन को नगर निगम जोधपुर आवश्यकतानुसार निर्धारित स्थान पर पार्किग करवा सकेगा जिससे आपातकाल में वाहन की आवश्यकता पडने पर तुरन्त वाहन का उपयोग किया जा सके। पार्किंग करवाये जाने की स्थिति में वाहन की सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार का दायित्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण का नहीं होगा।
7. प्रत्येक माह का बिल अगले माह की 20 तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर पेनल्टी लगाई जायेगी। 21–30/31 तारीख तक कुल बिल राशि का 1 प्रतिशत व 30/31 के पश्चात् बिल राशि की 2 प्रतिशत राशि पेनल्टी के रूप में काटी जायेगी।
8. अगले महीने की लोग बुक 25–30/31 तारीख तक गैरेज प्रभारी से हस्ताक्षर करवाकर जारी करवानी होगी। इस समयाविध में लोगबुकें जारी नहीं करवाने पर 500 रूपये प्रति लोगबुक पेनल्टी लगाई जायेगी।
9. कार्य आरम्भ से समाप्ति अवधि के दौरान नगर निगम अधिकारी किसी भी समय वाहनों का निरीक्षण करने के लिये स्वतंत्र होगें।
10. आवश्यकता होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति से वाहन नगर निगम जोधपुर दक्षिण सीमा क्षेत्र से बाहर भी भिजवाये जायेगें। पालना नहीं होने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा रूपये 2000/– प्रति वाहन प्रतिदिन की शास्ती लगाई जायेगी।
11. आवश्यकता होने पर वाहनों की संख्या बढाई जा सकती है। वाहनों की संख्या में/निगम क्षेत्र में बिना कारण बताये कमी करने का अधिकार नगर निगम को रहेगा।

12. निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

13. किसी भी शर्त की पालना नहीं होने पर निविदा शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा।

14. अन्य समस्त नियम शर्ते, राजस्थान सरकार के कय नियमों, वितीय एवं लेखा नियम, RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधान यथा परिवर्तन लागू होंगें।

15. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।

16. किसी भी विवाद में आयुक्त/महापौर द्वारा निर्णय किया जायेगा।

8. दुर्घटना

1. कार्य हेतु व कार्य के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि, वाहन दुर्घटना या चोरी होने पर सभी प्रकार के पुलिस अथवा न्यायिक प्रसंगों के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान नगर निगम द्वारा देय होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
2. दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण सार्वजनिक स्थल/कार्य स्थल पर वाहन से हुई टूट-फूट के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
3. दुर्घटना में वाहन के क्षतिग्रस्त होने, चोरी होने या अन्य किसी भी तरह का टूट-फूट होने पर संवेदक अविलम्ब दुसरा वाहन उपलब्ध करवायेगा।

9. निविदा प्रपत्र में संशोधन :-

1 नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajsthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।

2 संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में मैं/हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर ऑनलाईन वित्तीय प्रस्ताव में भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम मय मोहर

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

वितीय बिड

कार्य का नाम :– नगर निगम के कार्यों हेतु जीप, कार, इनोवा, 24 सीटर बस मय चालक, संचालन एवं रखरखाव एवं POL सहित संविदा पर दो वर्षो के लिए उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु निविदा।

क्र स.	कार्य का विवरण	दर (GST के अतिरिक्त सभी करों सहित)
1	नगर निगम जोधपुर के कार्यों हेतु जीप/कार उपलब्ध करवाने का कार्य।	
(a)	1500 किमी. प्रति वाहन प्रतिमाह	
(b)	150 किमी. प्रति वाहन प्रतिदिन (on as and when basis)	
(c)	1500 किमी. प्रति माह, 150 किमी. प्रतिदिन से अधिक चलने पर प्रति किमी. दर	
2	नगर निगम जोधपुर के कार्यों हेतु इनोवा कार उपलब्ध करवाने का कार्य।	
(a)	1500 किमी. प्रति वाहन प्रतिमाह	
(b)	150 किमी. प्रति वाहन प्रतिदिन (on as and when basis)	
(c)	1500 किमी. प्रति माह, 150 किमी. प्रतिदिन से अधिक चलने पर प्रति किमी. दर	
3	नगर निगम जोधपुर के कार्यों हेतु 24 सीटर बस उपलब्ध करवाने का कार्य।	
(a)	150 किमी. प्रति वाहन प्रतिदिन (on as and when basis)	
(b)	150 किमी. प्रतिदिन से अधिक चलने पर प्रति किमी. दर	
	कुल राशि = (1+2+3)	

1. उपरोक्त कार्य करने हेतू कार्य की दर ऑनलाईन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी।
2. लागू होने पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
3. न्यूनतम दरदाता का निर्धारत 1 से 3 तक के कुल योग में न्यूनतम के आधार पर किया जायेगा।

निविदा दाता के हस्ताक्षर
मय सील

परिशिष्ट – 'अ'

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

–:: अण्डर–टेकिंग ::–

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैनें/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नही होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नही की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नही किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नही की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

इन वाहनों से सम्बन्धित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किये जायेगे।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि निर्धारित संख्या के अतिरिक्त वाहन जीप, कार, इनोवा, 24 सीटर बस की आवश्यकता होने पर नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय के निर्देशानुसार व निविदा शर्तों अनुसार अतिरिक्त वाहन उपलब्ध करा देंगे।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तों, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नही किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म कही पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कार्यरत नहीं है।

दिनांक : ....

निविदादाता का नाम व
हस्ताक्षर मय सील

Municipal Corporation Jodhpur South

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/ JV

In relation to our Bid submitted to .... *[Enter designation and address of the procuring entity]* for procurement of .... *[Insert name of the Works]* in response to their Notice Inviting Bids No............... Dated .... We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;

3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:

Place:

Signature of Bidder

Name:

Designation:

Address